

# डिक्री मुकदमा डबतदाई

( को. 20 फरव 6 व 7 जान्ता दावानी )

वत सहायक कलेक्टर मुकाम दोंक  
श्री आशीश शर्मा S.A.S. न्यायालय सहायक कलेक्टर दोंक  
आशुतोष आदि बनाम श्री अशोक आदि  
 दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, पुनर्गठनी इन्डिया एन्वल्स आदि विधेधाना  
 मुकदमा नं. 286/2006 मन्

द्वया आज वास्ते इनफिषल कतई स्वक आशीश शर्मा S.A.S. सहायक कलेक्टर दोंक  
 के श्री आशुतोष शर्मा मिनजामिन मुदयई स्वक श्री अशोक आदि के पुनिभा  
 मिनजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

सादरवादीगना सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।  
पैरी फरीकेन आपना-आपना बहन करेगे पैरी डिफाजरी किया  
जाता है।

मबलिक बाबत  
 इस मुकदमे का मय मुद वगैरह पीसदी सामाना अज की त रीख  
 जब तक को अदा करे।  
 मेरे बस्तवत व मुहर अदालत के आज तारीख 2-9-2-2008 को जारी किया गया।

दस्तखत सहायक कलेक्टर  
 ओहदा दोंक

मुदई	रुपये	पैसे	मददायलह	रुपये	पैसे
अर्जो दावा			स्टाम्प अर्जो दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
वजह सवूत			महन्ताना वकील		
श वकील			खर्चा गवाहन		
दाहन			फीस कमिशनर		
मिशनर			बाबत इशराय हुकमनामा		
अजराय हुकमनामा			मुसफरिफ		
क					
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के काम पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का बाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।